

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

प्रसिद्ध अधिकारी :- बन्शीधर योगी, (आर०ए०एस०)

कदम संख्या :- 78/2024

1. लेख सिंह पुत्र श्री नन्दसिंह जाति रावणराजपूत निवासी जानगाँव तहसील करेडा

प्रार्थी.....

बनाम

01. धनश्याम पुत्र मोहन जाति ब्राह्मण उम्क्यरठ निवासी जानगाँव तहसील करेडा

विपक्षीगण.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक 19/3/2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत दन किया कि ग्राम जानगाँव पटवार हल्का जानगाँव तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खाता संख्या 272 आराजी नम्बर 1190, 2702/1189, 2704/1191

कुलकिता 0.3 रकबा 0.1265 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 7/3/2024 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को प्रार्थी से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने गरी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का डर है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक क सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम जानगाँव पटवार हल्का जानगाँव तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या 272 आराजी नम्बर 1190, 2702/1189, 2704/1191

कुलकिता 0.3 रकबा 0.1265 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की जाकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक जानगाँव को 300/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। इस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये बेन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

Ro
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा
करेडा, जिला- भीलवाडा



- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

Ro
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा
करेडा, जिला- भीलवाडा